न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉंची।

एस ए आर अपील 113 आर–15/06–07

अयुब अंसारी — अपीलकर्ता

बनाम

डोमन मुण्डा वगैरह — प्रतिवादी

आदेश

21/4.2.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 847/05–06 में विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉंची द्वारा दिनांक 14.2.2006 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
बरियातु	170	182	8 कट्टा

अपील आवेदन में कहा गया है कि विवादित जमीन खतियान में बकास्त भूँइहरी मो. गुरेर एवं कोका मुण्डा के नाम दर्ज है। उन्होंने सादा हुकुमनामा से 15.12.1945 को मो0 नेयाज खान पिता दोस्त मोहम्मद खान, फियाज खान पिता नेयाज खान एवं वसी खान पिता सफी खान को बंदोबस्त किया। इन बंदाबस्तीधारियों ने विवादित जमीन में से 5 कट्टा 15 छटॉक जमीन मकान सहित सलमा खातुन को निबंधित वसीका संख्या 83 दिनांक 25.1.1982 द्वारा बिकी किया। सलमा खातुन ने विवादित जमीन मकान सहित निबंधित वसीका संख्या 5404 दिनांक 27.6.1995 द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता को हस्तांतरित किया। विवादित जमीन का सर्वप्रथम हस्तांतरण 1945 में हुआ एवं उस समय पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं थी। निम्न न्यायालय का वाद कालबाधित है। निम्न न्यायालय से अपीलकर्ता को नोटिस भी तामिला नहीं हुआ। निम्न न्यायालय के आदेश में अपीलकर्ता के उपस्थित होने एवं संधारणीयता को चुनौती देने का उल्लेख है जो गलत है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन के तथ्य ही दुहराये गये।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन बकास्त भूँईहरी पहनाई है जो सेवा के लिए दी जाती है। निम्न न्यायालय में अपीलकर्ता ने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। विवादित जमीन में कोई संरचना नहीं है एवं दखल देहानी प्रतिवादी को मिल चुका है। लगान रसीद भी प्रतिवादी के नाम निर्गत होता है।

दोनों अभिलेखों में उपलब्ध सभी कागजातों और बहस से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष ने खतियानी रैयत से 1946 में नेयाज, फैयाज, सफीक खान के नाम हस्तांतरण का जिक किया है लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं दिया है। इसके बाद 1982 में फैयाज एवं अन्य ने सलमा को बेचा। 1995 में सलमा ने अयुब खान को भूमि हस्तांतरित कर दिया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि 1982 और 1995 का हस्तांतरण गलत है। 1946 के हस्तांतरण की विश्वसनीयता संदेहास्पद है क्योंकि इससे सम्बन्धित कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

निष्कर्ष यह है कि निम्न न्यायालय का आदेश सही है और अपीलकर्ता का दावा गलत है। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी दखल देहानी सुनिश्चित करावें। आदेश की प्रति सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को भेजा जाय।

दिनांकः–4.2.2008

लेखापित वो संशोधित

अपर समाहर्ता
रॉची।